न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

रेफरेन्स सं. 04 / 2013

1. ऋषिकेश पुत्र भीमसिंह
2. पृथ्वी सिंह पुत्र समयसिंह
3. बलवीर सिंह पुत्र भगवतसिंह

} जाति जाट निवासी ग्राम नाम, तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. उदयसिंह पुत्र मूलीसिंह जाति जाट निवासी ग्राम नाम, तह. नदबई, जिला भरतपुर। (मृतक)
   1 / 1. आशा पुत्री उदयसिंह
   1 / 2. योगेन्द्र पुत्र उदयसिंह
   1 / 3. डूंगर पुत्र उदयसिंह
   1 / 4. मुर्ति पुत्री उदयसिंह
   1 / 5. गोपाल पुत्र उदयसिंह
   1 / 6. हरप्यारी पत्नी उदयसिंह
2. तहसीलदार नदबई।
3. ग्राम पंचायत नाम तामील जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नाम , तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 एल.आर.एक्ट 1956 विरुद्ध दा0खा0 सं0 447 दि0 27.06.1989 एवं दा0खा0 सं0 355 दि0 23.02.1986 ग्राम नाम तह0 नदबई।

उपस्थितः

1. श्री नरेश शर्मा, अभिभाषक प्रार्थीगण।
2. श्री प्रमोद कुमार उपमन, अभिभाषक अप्रा0।

निर्णय

दिनांकः—03.09.2019

प्रार्थीगण ने यह रैफरेन्स अंतर्गत धारा एल.आर.एक्ट 1956 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि गत खसरा नंबर 979 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम नाम तहसील नदबई गैर मुमकिन रास्ता मिल्कियत सरकार है, जिसका हाल खसरा नंबर 899 रकबा 0.62 हैक्टेयर है। परन्तु साविक खसरा नंबर को तहसीलदार नदबई द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के हक में गैतवाड़ा के लिए नियमन करते हुए आवंटन कर गैतवाड़े के रूप में दर्ज करते हुए सनद जारी कर दी, जो दा0खा0 प्रथम दा0खा0 सं0 447 दिनांक 27.06.1989 व दा0खा0 सं0 355 दि0 23.02.1986 तहसीलदार नदबई द्वारा दर्ज किए गए हैं।

उक्त आराजी गैर मुमकिन रास्ता की जमीन है, जो गांव नाम व आस–पास के गांवों के लिए सार्वजनिक रास्ते के लिए काम आती रही है। वर्तमान में भी मनरेगा कार्यक्रम के तहत सड़क डाली गई है। रास्ते की भूमि का नियमन रास्ते के अलावा अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता तथा 3 बिस्वा भूमि का नियमन गैतवाड़े के लिए गलत किया गया है। तहसीलदार नदबई को किस्म परिवर्तन करने का कोई भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार दा0खा0 सं0 447 कतई गलत है। प्रार्थीगण ग्राम नाम के निवासी हैं। उस रास्ते में आने का अधिकार रखते हैं। प्रार्थीगण का आने–जाने का अधिकार प्रभावित होता है। अतः दा0खा0 सं0 447 दिनांक 27.06.1989 व दा0खा0 सं0 355 दि0 23.02.1986 निरस्त किए जाने हेतु माननीय राजस्व मंडल को रैफर किया जावे।

रैफरेन्स दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलवी की गई। उभयपक्ष के अभिभाषकगण उपस्थित। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण के अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि वाके ग्राम नाम तहसील नदबई स्थित गत खसरा नंबर 979 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता मिल्कियत सरकार है। जिसे तहसीलदार नदबई द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के हक में गैतवाड़ा के लिए नियमन करते हुए आवंटन कर सनद जारी कर दा0खा0 सं0 447 दि0 27.06.1989 व दा0खा0 सं0 355 दि0 23.02.1986 दर्ज कर दिये हैं। उक्त आराजी सार्वजनिक रास्ते के लिए काम आती रही है। रास्ते में प्रार्थीगण का भी हक निहित है। प्रार्थीगण के आने–जाने का अधिकार प्रभावित होता है। उक्त दा0खा0 को माननीय राजस्व मंडल अजमेर के लिए रैफर किया जावे।

अप्रार्थीगण के योग्य अभिभाषक द्वारा जाहिर किया है कि प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में धारा 82 एल.आर. एक्ट के तहत रैफरेन्स पेश किया है। आराजी साविक व हाल में प्रार्थीगण का कोई भी हित नहीं होने के कारण उन्हें रैफरेन्स प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। आराजी अप्रार्थी सं0 1 के हक में आवंटन होने के बाद आई है। जिसकी सनद भी तहसीलदार नदबई द्वारा जारी की गई है और भूमि जरिये नामान्तरकरण ही अप्रार्थी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है। रैफरेन्स सरकार प्रस्तुत कर सकती है। यह रैफरेन्स आपसी पार्टीबंदी के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, जो काबिल खारिज के है।

हमने योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण का मुख्य कथन यह है कि साविक खसरा नंबर

979 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा का आवंटन अप्रार्थीगण के हक में कर दिया है, किंतु पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीगण द्वारा इस प्रकार की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे समस्त 2 बीघा 9 बिस्वा का आवंटन अप्रार्थीगण के हक में हुआ हो। पत्रावली पर अप्रार्थी द्वारा तहसीलदार नदबई का आदेश दि0 25.10.2012 प्रस्तुत किया है, जिसमें 3 बिस्वा जमीन पर अप्रार्थी का पुख्ता निर्माण होना स्पष्ट अंकित है। अप्रार्थी का कब्जा सन् 1986 से बदस्तूर चला आ रहा है। अप्रार्थी के हक में पट्टा/नियमन/आवंटन तहसीलदार नदबई द्वारा किया गया है, जिस पर आवंटन के समय से ही अप्रार्थी काबिज है। आराजी में प्रार्थीगण का कोई हित नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा आवंटन के लगभग 27 साल बाद रैफरेन्स प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा रैफरेन्स देरी से प्रस्तुत करने का कोई उचित कारण भी अंकित नहीं किया है। रैफरेन्स करने का दायित्व संबंधित तहसीलदार का होता है। प्रार्थीगण द्वारा निजी हैसियत से रैफरेन्स पेश किया है । निजी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स के माध्यम से किसी के राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नाम को निरस्त नहीं किया जा सकता। प्रार्थना पत्र रैफरेन्स खारिज किए जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र रैफरेन्स खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आरुषी मलिक)
जिला कलक्टर
भरतपुर